न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2017/2280 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-07-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 378/अपील/2016-17

सुरेश चौधरी पिता श्री शंकरलाल चौधरी,
निवासी ग्राम बायखेडा तहसील व
जिला धार म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/2/19 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पटवारी ग्राम बायखेड़ा तहसील व जिला धार स्थित चरनोई भूमि सर्वे क्रमांक 217/1 रकबा 1.113 हेक्टेयर पैकि 0.126 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक द्वारा फसल बोकर 20X40 वर्गफीट पर कच्चा मकान व कुऑ बनाकर अतिक्रमण करने बावत् प्रतिवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 251/अ-68/2014-15 दर्ज किया जाकर आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया एवं दिनांक 25-8-15 को आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी धार के

न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दि. 24-1-2017 को निरस्त कर दी गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10-7-2017 को ग्राह्यता के स्तर पर आदेश पारित अपील निरस्त कर दी गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के अवैधानिक प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी में जबाव प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय ना दिया जाकर विधि के विपरीत आदेश पारित आदेश किया है, जबकि पटवारी प्रतिवेदन में आवेदक द्वारा अतिक्रमण कब किये जाने की कोई दिनांक का उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना विधिवत कोई जॉच किये, बिना विधिक प्रक्रियाओं का पालन किये अवैधानिक आदेश पारित किया गया है जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत रखने में त्रुटि की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक वर्षो से काबिज होने बावत् तथ्य आवेदक को बिना साक्ष्य से प्रमाणित कराये जाने का कोई अवसर दिये बिना आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किये हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा बिना आवेदक को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रतिलिपि प्रदाय किये, बिना उक्त प्रतिवेदन बावत् आवेदक को उसका पक्ष रखे जाने का कोई अवसर दिये मात्र आवेदक द्वारा की गई तथाकथित स्वीकारोक्ति के आधार पर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है एवं उक्त अवैधानिक आदेश को यथावत् रखे जाने में दोनों अपीलीय न्यायालयों ने भूल की है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अपर आयुक्त न्यायालय ने तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को समवर्ती निष्कर्ष मानकर आवेदक की अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर निरस्त कियेजाने में वैधानिक एवं तथ्यात्मक भूल की है, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना संहिता की धारा 248 के प्रावधान अनुसार कोई जॉच किये, बिना आवेदक को कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने

का अवसर दिये अवैधानिक आदेश दिया है, जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखे जाने में त्रुटि की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्ष ना होकर अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1968 आरएन 49, 1993 आरएन 68, 1973 आरएन 586, 1993 आरएन 253 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकपक्ष शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को वैधानिक एवं उचित बताते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पटवारी के प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बाईखेड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 217/1 रकबा 0.126 हेक्टेयर मद निस्तार चरनोई की भूमि पर बीज बोकर तथा 20X40 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान बनाकर आवेदक द्वारा अतिक्रमण किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा माना गया कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा है । अतः विचारण न्यायालय प्रश्नाधीन भूमि से बेदखली का आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और विचारण न्यायालय के आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में 2012 आरएन 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा-50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष -पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में प्रासंगिक नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-07-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर